निरीक्षण प्रतिवेदन

यह प्रस्ताव हाथी चौक (बरायबुरू) से गुवा वेलकम गेट तक के लिये पूर्व में दिनांक 27.08.2016 को 20 मी0 चौड़ाई के लिये 4.45 हे0 वनभूमि के अपयोजन के प्रस्ताव का संशोधित प्रस्ताव है जिसमें पथ की चौड़ाई 44 मी0 रखी गयी है एवं वनभूमि 2.356 हे0 स्थायी अपयोजन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त पुलिया एवं कलभर्ट के निर्माण हेतु 0.2 हे0 वनभूमि के अस्थायी अपयोजन का प्रस्ताव पूर्ववत् है।

नये संशोधित प्रस्ताव का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 26.03.2017 को किया गया एवं पाया गया कि पहले जो 20 मी0 चौड़ाई का प्रस्ताव था उसे अब 14 मी0 में परिवर्तित किया गया है। स्थल पर केवल प्रयोक्ता एजेंसी के अनुसार निर्माण के क्रम में काटे जाने वाले 57 वृक्षों का ही मार्किंग किया गया है। पूरे 14 मी0 चौड़ाई एवं कलभर्ट/पुलिया डायभर्सन में पड़ने वाले वृक्षों के संयुक्त मार्किंग का अनुरोध किया गया लेकिन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। फलस्वरूप वन विभाग द्वारा स्वयं मार्किंग कर सूची तैयार की गई। इसमें वृक्षों की संख्या 1065 है। प्रस्तावित वन भूमि का घनत्व 0.75 है तथा यह Eco Class-I के अन्तर्गत है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि "For storage of construction materials, disposal of surplus material and for movement of construction machinery, forest land may be use beyond 14 m." लेकिन न तो यह चिन्हित है, न ही इसकी गणना कर प्रस्ताव में सम्मिलित की गई है। अतः इसके उपयोग की अनुमति नहीं हो सकती है। DPR में परिवर्तन नहीं होने से 14 मी0 के बाहर के वन भूमि का उपयोग होना स्वभाविक भी लगता है। पथ में इस तरह का निर्माण कार्य नहीं पाया गया। इस प्रकार नये प्रस्ताव के निरीक्षण में केवल प्रस्तावित चौड़ाई पुराने प्रस्ताव के 20 मी0 के जगह 14 मी0 पायी गयी तथा बाकी स्थिति पूर्ववत् पायी गयी। पूर्व प्रस्ताव का निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।

संलग्न–यथोक्त।

वन संरक्षक
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
सारण्डा वन प्रमण्डल
चाईबासा

हाथी चौक(बरायबुरू) से गुवा, वेलकम गेट तक पथ का निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा हाथी चौक (बरायबुरू) से गुवा वेलकम गेट तक 4.3 कि0मी0 में अधिसूचित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इस प्रस्ताव की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 27.08.2016 को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की समीक्षा में पाया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व खण्डित चौड़ाई 10 मी0 अनुसार मानते हुए आरक्षित वनभूमि 4.45 हे0 के लिए प्रस्ताव समर्पित किया है। इसमें 03 पुलिया भी सम्मिलित है। पथ के लिये 20 मी0 चौड़ा जमीन का प्रस्ताव है जिसमें 10 मी0 पूर्व खण्डित पथ है एवं 10 मी0 अतिरिक्त चौड़ाई के अपयोजन का प्रस्ताव है। पुलिया के लिये 25 मी0 यानि 15 मी0 अतिरिक्त चौड़ाई में वनभूमि का प्रस्ताव समर्पित है। इसके साथ पुलिया बनाने के समय 0.2 हे0 अतिरिक्त वनभूमि का अस्थायी उपयोग की अनुमति मांगी गई है।

इसका स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.09.2016 को किया गया। हाथी चौक से गुवा तक का लिंक रोड की लम्बाई 6.865 कि0मी0 है, जिसमें हाथी चौक से गुवा वेलकम गेट तक 4.3 कि0मी0 में चौड़ाकर/निर्माण हेतु अधिसूचित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्तावित पथ पूरी तरह अधिसूचित घाटकुड़ी आरक्षित वन से पास करता है। वेलकम गेट से 6.865 कि0मी0 तक का पथ भी वनभूमि से गुजरता है जो SAIL गुवा का लीज में भी आता है जिसमें पी0सी0सी0 ढलाई कर 7.00 मी0 चौड़ा रोड है। कनीय अभियन्ता, पथ निर्माण प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि इस भाग में केवल इसी चौड़ाई में बने पथ का मजबूतीकरण किया जायेगा एवं अतिरिक्त वनभूमि की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप इस भाग के लिए अतिरिक्त वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित नहीं किया गया है। केवल हाथी चौक से गुवा वेलकम गेट के पथ ,जो वर्त्तमान में खराब स्थिति में है, उसे चौड़ीकरण/निर्माण किया जाना है उसी में अतिरिक्त वनभूमि की आवश्यकता है, जिसके लिये प्रस्ताव समर्पित है। स्थल निसीक्षण से स्पष्ट है कि इसमें काफी पहले से ROW के अतिरिक्त लगभग 3.75 मी0 चौड़ाई का पीच सड़क था जो अभी खराब हो गया है।वर्तमान में पथ की खण्डित चौड़ाई औसतन 10 मीटर है।

पथ के खण्डित चौड़ाई 10 मी0 के दोनों तरफ घाटकुड़ी आरक्षित वन है जिसमें मुख्यतः साल का बहुत सघन जंगल है एवं जिसका घनत्व 0.75 है। इस तरह के वृक्ष एवं पहाड़ों को काटकर रोड का चौड़ीकरण करना कतई उचित नहीं है और न ही आवश्यकता है। क्योंकि वर्त्तमान 10 मी0 के खण्डित चौड़ाई में आसम से 7.00 मी चौड़ाई का ढलाई या अन्य तरह का पथ बनाया सकता है, जैसे वेलकम गेट से गुवा तक बना हुआ है, जो निम्न फोटोग्राफ से स्पष्ट है।

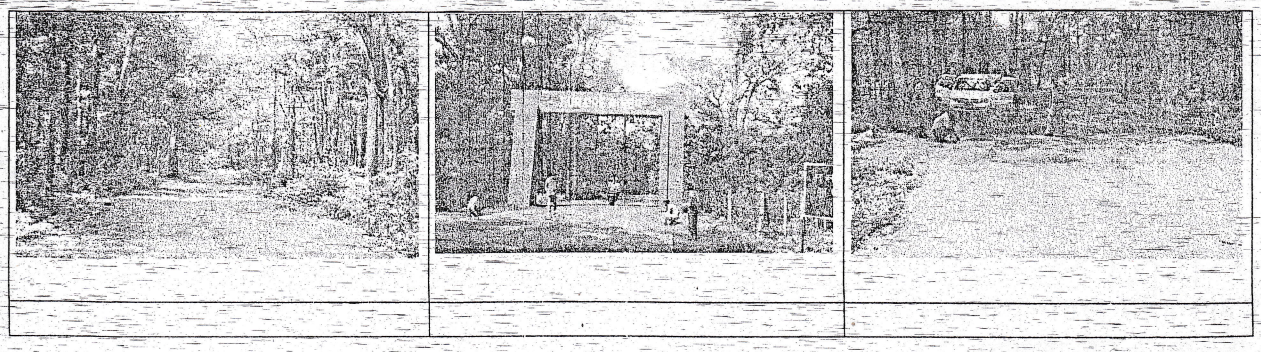

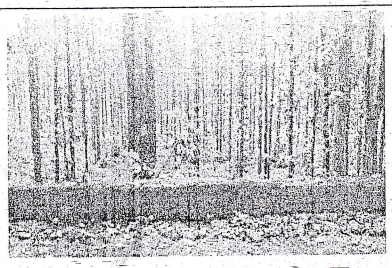

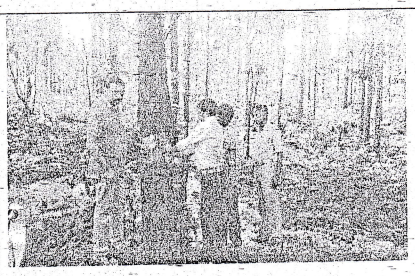

यह पथ केवल गुवा से हाथी चौक का लिंक रोड है जिसके वर्तमान चौड़ाई 10 मी0 के अन्तर्गत पथ बनाने से आसानी से अवागमन हो सकता है, क्योंकि आगे तो 7.00 मी0 चौड़ाई ही पथ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक वैकल्पिक पथ (जिसका दूरी भी कम है) भी बोकना से वेलकम गेट तक के लिए है जिसमें वर्तमान में छोटी गाड़ियाँ चलती है। इस प्रकार मुख्यतः इस पथ से बड़ी वाहनों का ही चलने की आवश्यकता होगी। गुवा तक रेल लाईन एवं स्टेशन भी है जहाँ से SAIL एवं अन्य कम्पनियों का Iron Ore आदि का डिस्पैच या परिवहन होता है या हो सकता है तथा पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलती है। ज्ञातव्य सारण्डा क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी काफी कम है। अगर भविष्य में उत्पादन ज्यादा होगा तो जरूरत होने पर परिवहन के लिए मालगाड़ी की संख्या बढ़ाई जा सकती है जो सस्ता एवं पर्यावरण आदि के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त होगा। क्योंकि गुवा से जामदा तक ट्रक से परिवहन करने पर खर्च भी ज्यादा आयेगा एवं पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं होगा। साथ ही साथ इस पथ को गुवा शहर से गुजरने के कारण शहरवासियों को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

अतः पथ निर्माण विभाग द्वारा अभी 7.00 मी0 पिच के लिये कम से कम 16.50 मी0 में मिट्टी का काम का जो Design बनाया गया है उसमें यहाँ पर जगह की अनुपलब्धता एवं अन्य उपरोक्त कारणों से 10.00 मी0 के अन्तर्गत अपना Road Construction का design बनाकर इस चौड़ाई में 7.00 मी0 चौड़ा पथ बनाने का विचार कर सकता है, जैसे वेलकम गेट से आगे पथ बना हुआ है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि पथ में पड़ने वाले 03 पुलिया के संकीर्ण एवं पुराना होने के चलते निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें 3x100x15 = 0.45 हे0 वनभूमि के अपयोजन की आवश्यकता होगी तथा निर्माण के समय बाईपास के लिये भी अतिरिक्त 0.2 हे0 अस्थाई तौर पर वनभूमि की आवश्यक है। इसके लिये अलग से आवेदन समर्पित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन पूरे पथ में अच्छा साल/सागवान वृक्षों/पहाड़ियों को काटकर बिना आवश्यकता के वनभूमि का अपयोजन करना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सारण्डा जंगल के 0.75 घनत्व एवं Eco Class-I के बड़े–बड़े साल आदि वृक्षों तथा पहाड़ियों को काटकर पथ का चौड़ीकरण करना उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कतई उचित नहीं है । अतः उपरोक्त विशेष परिस्थिति के चलते इस प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है। केवल पुलिया एवं बाईपास के अलग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

12/9/16

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल,
चाईबासा।